फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड मुख्य कार्यालय – ऐक्मे बिजनेस सेन्टर (ABC), 4-5, सबसिटी सेन्टर, सविना सर्कल, कृषि उपज मण्डी के सामने, उदयपुर (राज.) – 313001 तथा शाखा कार्यालय :– उदयपुर (राज.) – 313001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता

–प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री अमृत लाल कोठारी पिता श्री घीसुलाल कोठारी, रविश पैलस, आदर्श नगर, राजकमल होटल के पिछे, कांकरोली, जिला राजसमंद(राज.) **–ऋणी**
2. श्रीमती सुनीता कोठारी पत्नी श्री अमृत लाल कोठारी, रविश पैलस, आदर्श नगर, राजकमल होटल के पिछे, कांकरोली जिला राजसमंद (राज.) **–सहऋणी**
3. श्री राजेश कुमार पालीवाल पिता श्री भंवर लाल पालीवाल, छप्पर खेडी, पोस्ट – केलवा, जिला – राजसमन्द(राज.) **–जमानती**

– विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 20/2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.07.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर ने दिनांकः 18.06.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार खाता संख्या **MLR-1400205** के द्वारा 70,00,000/–रुपए का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पति (अ) श्री अमृत लाल कोठारी पिता श्री घीसुलाल कोठारी, के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पति आराजी नं– 936, पट्टा संख्या 18/95 जिसका क्षेत्रफल 1539 वर्ग फिट हैं जो किशोर नगर(सुभाष नगर) कांकरोली, जिला राजसमंद(राज.) में स्थित हैं। (ब) श्रीमति सुनीता कोठारी पत्नी श्री अमृत लाल कोठारी के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति आराजी नं0 936, पट्टा संख्या 17/95 जिसका क्षेत्रफल 1503 वर्गफिट है। जो किशोर नगर (सुभाष नगर) कांकरोली मे स्थित है, को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 20.11.2017 ऋण के भुगतान मे व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन0पी0ए0 घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या **MLR- 1400205** मे बकाया रूपये 1,57,43,853/– (रूपये अक्षरे एक करोड सतावन लाख तैयालीस हजार आठ	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सौ तरेपन मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 17.11.2020 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2020 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो की अप्रार्थीगण को तामिल नहीं होने के कारण 13(2) के नोटिस सूचना दो अखबारों (दैनिक नवज्योति एवं एकनॉमिक्स टाईम्स) में छाया करायी गई व इस जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी मे रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैः–

(अ) श्री अमृत लाल कोठारी पिता श्री घीसूलाल कोठारी के नाम भूमि एवं निमार्ण आवासीय संपत्ति आराजी नं0 936 , पट्टा संख्या 18/95 जिसका क्षेत्रफल 1539 वर्गफीट है जो किशोर नगर (सुभाषनगर) कांकरोली जिला राजसमन्द मे स्थित है। पूर्व मेः– कृषि भूमि आराजी नं0 933 एवं नहर का धारो, उत्तर मेंः– कौशल्या देवी का प्लांट दक्षिण मे :– मीना कुमारी का प्लांट पश्चिम मेंः– 20 फीट चौडी रोड उक्त सम्पति का विक्रय विलेख दिनांकित 09.03.2020 को उपं पंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।

(ब) श्रीमति सुनीता कोठारी पत्नी श्री अमृत लाल कोठारी के नाम भूमि एवं भवन आवासीय संपत्ति आराजी नं0 936 पट्टा संख्या 17/95 जिसका क्षेत्रफल 1503 वर्गफीट है जो किशोर नगर (सुभाषनगर) कांकरोली जिला राजसमन्द मे स्थित है। पूर्व मेः–कृषि भूमि आराजीं नं0 933 उत्तर मेः– उषादेवी का प्लांट दक्षिण मेंः– गिरिश कुमार का प्लांट पश्चिम में 20 फिट चौडी रोड उक्त सम्पति का विक्रय विलेख दिनांकित 09.03.2020 को उपं पंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10. 2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 25.11.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– (अ) श्री अमृत लाल कोठारी पिता श्री घीसूलाल कोठारी के नाम भूमि एवं निमार्ण आवासीय संपत्ति आराजी नं0 936,

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पट्टा संख्या 18/95 जिसका क्षेत्रफल 1539 वर्गफीट है जो किशोर नगर (सुभाषनगर) कांकरोली जिला राजसमन्द मे स्थित है। पूर्व मेः– कृषि भूमि आराजी नं0 933 एवं नहर का धारो, उत्तर मेंः– कौशल्या देवी का प्लांट दक्षिण मे :– मीना कुमारी का प्लांट पश्चिम मेंः– 20 फीट चौडी रोड उक्त सम्पति का विक्रय विलेख दिनांकित 09.03.2020 को उपं पंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।

(ब) श्रीमति सुनीता कोठारी पत्नी श्री अमृत लाल कोठारी के नाम भूमि एवं भवन आवासीय संपत्ति आराजी नं0 936 पट्टा संख्या 17/95 जिसका क्षेत्रफल 1503 वर्गफीट है जो किशोर नगर (सुभाषनगर) कांकरोली जिला राजसमन्द मे स्थित है। पूर्व मेः–कृषि भूमि आराजीं नं0 933 उत्तर मेः– उषादेवी का प्लांट दक्षिण मेंः– गिरिश कुमार का प्लांट पश्चिम में 20 फिट चौडी रोड उक्त सम्पति का विक्रय विलेख दिनांकित 09.03.2020 को उपं पंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)